

सायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :-श्री कल्पित शिवरान आर.ए.एस.

38/2024

1. भूराम पुत्र केशाराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी मुन्सरी तहसील भादरा।
:-प्रार्थी

बनाम

1. दाताराम } पुत्रान नत्थुराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी मुन्सरी तहसील भादरा
2. इन्द्रपाल }
3. उर्मिला }
4. राजकौरी } पुत्रियान नत्थूराम जाति जांगिड ब्राह्मण निवासी मुन्सरी त0भादरा
5. रामदेई }
6. आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड शाखा 12 एमएसआर जरिये शाखा प्रबंधक।
7. राजस्थान सरकार जरिये शाखा प्रबंधक।

:-अप्रार्थीगण



प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए
आरटीएक्ट सपठित धारा 8(2) राज0 कॉल0 ए
उपस्थिति :-रतनसिंह धारीवाल प्रार्थी
श्री मोहरसिंह अप्रार्थीगण

निर्णय

दिनांक: 4.6.2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं0 85/43 के मु0 न0 39 के किला न0 21, 22 मु0 न0 40 के किला न0 21 ता 5, मु0 न0 41 के किला न0 1 ता 9, 13 ता 18, 24, 25 मु0 न0 42 के किला न0 1, 10, 1, 20, 21 कुल 7.3370 है0 नहरी खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खातेदारी अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं0 56/79 के मु0 न0 38 के किला न0 20, 21, मु0 न0 39 के किला न0 23, 24, 25, मु0 न0 42 के किला न0 2 ता 9, 12 ता 19, 22 ता 25, मु0 न0 43 के किला न0 1, 10, 11, 20 कुल 7.3370 है0 नहरी संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमें अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 प्रत्येक के नाम 1/5 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

पक्षकारान अपनी अपनी कृषि भूमि एवं ढाणियों में आने जाने के लिए सहमति से राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज करवाना चाहता है जिसकी बाबत पक्षकारान ने एक दूसरी को रास्ता बाबत सहमति भी दे दी है जिसका सहमति पत्र दोनों पक्षों ने 100-100 रुपये के नॉन ज्यूडिसियल स्टाम्प पर लिखवाया गया है जिसके अनुसार प्रार्थी अपनी कृषि भूमि चक 10 एमएसआर के खाता सं0 85/43 के मु0 न0 40 के किला न0 21, 22, 23, मु0 न0 39 के किला न0 21 के उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्व तथा मु0 न0 39 के किला न0 22 के पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण की तरफ एक एक बिस्वा यानि सवा आठ फुट चौड़ाई में रास्ता स्वीकृत करवाने के लिए सहमत है। इसी प्रकार अप्रार्थीगण सं0 1 ता 5 ने रोही चक 10 एमएसआर के खाता सं0 56/79 के मु0 न0 42 के किला न0 2, 9, 12, 19 में पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण एक एक बिस्वा यानि सवा आठ फुट रास्ता स्वीकृत

स्वीकृत रास्ता नहीं है इसलिए हम इस रास्ता को बंद कर रहे हैं यदि अप्रार्थीगण अपनी खातेदारी में आवगमन के अभाव में काश्त से वंचित रह जायेंगे। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त कृषि भूमि में जाने के लिए सदामत से ही चालू उक्त रास्ता का अंकन राजस्व रिकॉर्ड स्वीकृत करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण ने सं० 1 ता 5 ने राजस्वी सहमति से राजीनामा पेश किया। व तहसीलदार राजस्व भादरा से रिपोर्ट प्राप्त की गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 अपने-अपने हिस्से अनुसार अपनी-अपनी कृषि भूमि काश्त कर रहे हैं। चक 10 एमएसआर के खाता सं० 85/43 के मु० न० 40 के किला न० 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक किला में उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला में 0.013 है०, मु० न० 39 के किला न० 21 के उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्व 0.013 है०, तथा मु० न० 39 के किला न० 22 के पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण 0.013 है० व रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 56/79 के मु० न० 42 के किला न० 2, 9, 12, 19 प्रत्येक किला में पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण 0.013 है० यानि एक एक बिस्वा यानि सवा आठ फुट रास्ता रास्ता का उपयोग करता है। परन्तु उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं है। इसलिए उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए पक्षकारान ने सहमति प्रकट कर रास्ता का अंकन किया जाना स्वीकार किया है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं जवाब का अवलोकन किया गया। चूंकि प्रस्तावित रास्ता की भूमि के एवज के बदले अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण से कोई लेन देन स्वीकार नहीं किया है इसलिए प्रार्थी व अप्रार्थीगण सं० 1 ता 5 की सहमती अनुसार विवादित भूमि में प्रस्तावित रास्ता स्वीकार योग्य होने के कारण प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि चक 10 एमएसआर के खाता सं० 85/43 के मु० न० 40 के किला न० 21, 22, 23, 24, 25 प्रत्येक किला में उत्तरी तरफ पश्चिम से पूर्व प्रत्येक किला में 0.013 है०, मु० न० 39 के किला न० 21 के उत्तरी साईड पश्चिम से पूर्व 0.013 है०, तथा मु० न० 39 के किला न० 22 के पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण 0.013 है० व रोही मौजा चक 10 एमएसआर के खाता सं० 56/79 के मु० न० 42 के किला न० 2, 9, 12, 19 प्रत्येक किला में पश्चिमी साईड उत्तर से दक्षिण 0.013 है० यानि सवा आठ फीट चौड़ा स्वीकृत कर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त करे।

आज दिनांक 4.6.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में न्याया गया।



(कल्पित शिवरान)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) R.A.S
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़